मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 11–39/07/1/9 भोपाल,दिनांक 4.1.2008

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,मंत्रालय,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– रिट अपील दायर करने में होने वाले विलंब रोकने संबधी निर्देश ।

———————

शासन के ध्यान यह तथ्य लाया गया है कि,माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्व रिट अपीलें प्रस्तुत करने में विभागो द्वारा अत्याधिक विलंब किया जाता है । निर्धारित अवधि में अथवा विंलब से जो प्रस्ताव विधि विभाग को प्राप्त होते है,वे भी अस्पष्ट होते है,जिसके कारण अनावश्यक विलंब होता है ।

2/ वस्तुतः गुणदोष के आधार पर यदि रिट अपील दायर करनें का निर्णय लिया जाता है,तो विभागो को अनुमति देने संबंधी औपचारिकताऐं पूरी करने की त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये । इस संबंध में आपका ध्यान विधि विभाग की नियमावली के नियम 169 की और आकर्षित किया जाता है,जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि शासन के विरूद्व पारित निर्णय मे प्रभारी अधिकारी को तत्काल आदेश/निर्णय का परीक्षण करके संबधित अधिवक्ता/लोक अभियोजक से परामर्श करना चाहिये । यदि अपील दायर करने का परामर्श प्राप्त होता है,तो अपील पेश करने के आधार बताते हुए विभागाध्यक्ष को इस संबंध मे तत्काल प्रतिवेदन भेजना चाहिये । उक्त प्रस्ताव के साथ पारित निर्णय की प्रति,शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित अपील का प्रारूप भी संलग्न किया जाना चाहिये । उक्त कार्यवाही आदेश पारित होने के 15 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक है ।

–2–

3/ विधि विभाग की नियमावली के नियम–171 के अनुसार जिस आदेश/निर्णय पर अपील की जाना है,विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के मार्फत उससे संबधित विषयवस्तु एवं प्रस्ताव समयावधि मे विधि विभाग को भेजा जाना चाहिये । यदि समयावधि गुजरने के बाद कोई प्रस्ताव भेजा जाता है,तो विलंब के लिए अत्याधिक ठोस आधार उपलब्ध कराना होगें,तभी न्यायालय में विलंब की माफी मिलने की संभावना होगी,अन्यथा नही ।

4/ समयावधि बाह्य होनें पर एवं अनावश्यक विलंब होने की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा अपील ग्राह्य नही किये जाने से शासन को होने वाली क्षति के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावें ।

5/ शासन द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायालयीन प्रकरणों में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाए ।

सही/–
(एस.डी.अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क0एफ 11–39/07/1/9 भोपाल दिनांक 4.1.2008

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,विधि एवं विधायी कार्य विभाग
2. महाधिवक्ता,उच्च न्यायालय,जबलपुर मध्यप्रदेश
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर की और सूचनार्थ

सही/–
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग